REVALIDATION

पत्रावली संख्या III - 258

पंजीकृत डाक द्वारा

नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण

वास्तुकला एवं नियोजन विभाग

मुख्य प्रशासनिक भवन, सेक्टर-6 नौएडा(उ0प्र0)

संख्याः-नौएडा/मु0वा0नि0/2022/III-258/ 1920

दिनांकः 14-12-2022

सेवा में,

मैसर्स जे0पी0 इन्फ्राटेक लि0
सैक्टर-128, नौएडा

विषयः- मै0 जे0पी0 इन्फ्राटेक लि0 द्वारा सैक्टर-128,129,131,133 व 134 में विकसित की जा रही टॉऊनशिप योजना के अन्तर्गत नियोजित ग्रुप हाऊसिंग पॉकेट सं0 बी-45, (क्लासिक शौर्या) सैक्टर - 134, नौएडा के भवन मानचित्र के पुनर्वैधीकरण के सम्बन्ध में ।

कृपया आपके द्वारा सैक्टर-128,129,131,133 व 134 में विकसित की जा रही टॉऊनशिप योजना के अन्तर्गत नियोजित ग्रुप हाऊसिंग पॉकेट सं0 बी-45 (क्लासिक शौर्या) सैक्टर - 134, नौएडा के प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत मानचित्रों के पुनर्वैधीकरण हेतु आवेदन के आधार पर संदर्भित योजना के दिनांक 12.10.2012 को स्वीकृत मानचित्रों को दिनॉक 24.01.2020 को पुनर्वैधीकरण किया गया है, जोकि 10.10.2022 तक के लिए अनुमन्य है। दिनॉक 05.09.2022 को पुनः पुनर्वैधीकरण हेतु किये गये आवेदन के आधार **पर 5 वर्ष** (दिनॉक 11.10.2022 से 10.10.2027 तक) हेतु पुनः पुनर्वैधीकरण किया जाता है।

कार्यदायी संस्था, कन्सेशन एग्रीमेंट एवं बिल्डर बायर एग्रीमेंट के प्रावधानों के अनुसार योजना को निर्धारित अवधि में पूर्ण करना सुनिश्चित करेंगे। पुनर्वैधीकरण मानचित्र में दर्शित वैद्यता समय किसी भी स्थिति में कन्सेशन एग्रीमेंट की शर्तो को प्रभावित नही करता है।

ग्रुप हाऊसिंग पॉकेट सं0 बी-45 (शौर्य) सैक्टर - 134, का क्षेत्रफल	=	66,311.689 वर्ग मी0
कुल स्वीकृत एफ.ए.आर.	=	39,288.947 वर्ग मी0
कुल स्वीकृत तहखाना क्षेत्रफल (नॉन एफ.ए.आर.)	=	23,596.371 वर्ग मी0
कुल स्वीकृत सेवा क्षेत्रफल (नॉन एफ.ए.आर.)	=	3,426.371 वर्ग मी0
कुल स्वीकृत क्षेत्रफल(एफ0ए0आर0+नॉन एफ0ए0आर0)	=	66,311.689 वर्ग मी0

योजना में कुल अधिभोग निर्गत क्षेत्रफल

निर्मित एफ0ए0आर0 क्षेत्रफल	=	13278.867 वर्ग मी0
निर्मित प्रथम तहखाना क्षेत्रफल (नॉन एफ0ए0आर0)	=	3,314.024 वर्ग मी0
निर्मित द्वितीय तहखाना क्षेत्रफल (नॉन एफ0ए0आर0)	=	3,314.024 वर्ग मी0
निर्मित सेवा क्षेत्रफल (नॉन एफ0ए0आर0)	=	1,161.84 वर्ग मी0
कुल अधिभोग निर्गत क्षेत्रफल(एफ0ए0आर0 + नॉन एफ0ए0आर0)	=	21,068.755 वर्ग मी0

पुनर्वैधीकरण हेतु क्षेत्रफल

शेष एफ0ए0आर0 क्षेत्रफल	=	26,010.08 वर्ग मी0
शेष प्रथम तहखाना क्षेत्रफल (नॉन एफ0ए0आर0)	=	8,597.831 वर्ग मी0
शेष द्वितीय तहखाना क्षेत्रफल (नॉन एफ0ए0आर0)	=	8,370.493 वर्ग मी0
शेष सेवा क्षेत्रफल (नॉन एफ0ए0आर0)	=	2,264.531 वर्ग मी0
कुल पुनर्वैधीकरण क्षेत्रफल (एफ0ए0आर0 + नॉन एफ0ए0आर0)	=	45,242.934 वर्ग मी0

REVALIDATION

नियम व शर्तें:-

1. संदर्भित ग्रुप हाऊसिंग पॉकेट की भवन मानचित्र की स्वीकृति पत्र दिनाँक 12.10.2012 में उल्लिखित शर्ते यथावत रहेगी।
2. योजना में 64.70 प्रतिशत अतिरिक्त प्रतिकर की देयता के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या–25579 / 2021 में जो भी अंतिम निर्णय पारित होगा, वह कार्यदायी संस्था को मान्य होगा।
3. कार्यालय आदेश दिनॉक 15.09.2022 के अनुसार कार्यदायी संस्था के स्वयं के द्वारा विकसित की जा रही योजनाओं में अनुमन्य समयवृद्धि दिनॉक 31.12.2025 तक निःशुल्क प्रदान की गयी है। उक्त तिथि के उपरान्त प्राधिकरण की प्रचलित नीति के अनुसार नियमानुसर समयवृद्धि शुल्क देय होगा।
4. कार्यदायी संस्था को परिसर के अन्दर ही कूडा एवं ठोस अपशिष्ट के निस्तारण हेतु कूडा एवं ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन प्लान्ट स्थापित करना होगा ।
5. उ0प्र0 रियल स्टेट रेग्यूलेट्री एक्ट-2016, पर्यावरण विभाग / माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण/माननीय न्यायालय/उच्च न्यायालय/सर्वोच्च न्यायालय तथा अन्य सम्बन्धित राज्य व केन्द्र सरकार के समय-समय पर लागू होने वाले सभी अधिनियमों एवं उसके अन्तर्गत नियमों / विनियमों/निर्देशों/आदेशों आदि (अध्यावधिक यथा संशोधित एवं प्रभावी) का अनुपालन कार्यदायी संस्था/पट्टा धारक/उप पट्टा धारक पर बाध्यकारी होगा ।
6. प्राधिकरण द्वारा सैक्टर-128,129,131,133 व 134 का दिनॉक 20.02.2015 को स्वीकृत पुनरीक्षित भू–विन्यास मानचित्र में उल्लेखित शर्तो का पालन करना होगा।
7. इलेक्ट्रीक वाहन चार्जिंग की व्यवस्था कार्यदायी संस्था को परिसर के अंदर करना होगा।

संलग्नः- पुनर्वैधीकरण मानचित्र की प्रति।

प्रतिलिपिः- तहसीलदार, (भूलेख) को सूचनार्थ।

भवदीय,

नाम ....

पद 14/12/2022

नौएडा

(इश्तियाक अहमद)
महाप्रबन्धक (नियोजन)
नौएडा

REVALIDATION
Map for proposed Building is as per Bye Laws. Submitted for Approval Please

Asstt. Asstt/Arch. Architect

पंजीकृत डाक द्वारा

पत्रावली संख्या III - 263

नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण

वास्तुकला एवं नियोजन विभाग

मुख्य प्रशासनिक भवन, सेक्टर-6 नौएडा(उ0प्र0)

संख्याः-नौएडा/मु0वा0नि0/2022/III-263/ 1225

दिनांकः 14-12-2022

सेवा में,

मैसर्स जे0पी0 इन्फ्राटेक लि0
सैक्टर-128, नौएडा

बिषयः- मै0 जे0पी0 इन्फ्राटेक लि0 द्वारा सैक्टर-128, 129, 131, 133 व 134 में विकसित की जा रही टॉऊनशिप योजना के अन्तर्गत नियोजित ग्रुप हाऊसिंग पॉकेट सं0 बी-45, सैक्टर - 134, नौएडा के भवन मानचित्र के पुर्नवैद्यीकरण के सम्बन्ध में ।

कृपया आपके द्वारा सैक्टर-128, 129, 131, 133 व 134 में विकसित की जा रही टॉऊनशिप योजना के अन्तर्गत नियोजित ग्रुप हाऊसिंग पॉकेट सं0 बी-45, (क्लासिक–आई0बी0 एण्ड ओ0एन0जी0सी0) सैक्टर - 134, नौएडा के प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत मानचित्रों के पुर्नवैधीकरण हेतु आवेदन के सैंथ जमा पुर्नवैधीकरण शुल्क के आधार पर संदर्भित योजना के दिनांक 19.01.2012 को स्वीकृत मानचित्र दिनॉक 24.01.2020 को 05 वर्ष हेतु पुनर्वैधीकृत किये गये थे। वर्तमान में कार्यदायी संस्था द्वारा पुनः पुर्नवैधीकरण हेतु दिनॉक 03.01.2022 को किये गये आवेदन के क्रम में पुर्नवधीकृत मानचित्रों की अधिकतम **वैद्यता -5 वर्ष** (दिनॉक 17.01.2022 से 16.01.2027 तक) के लिए पुनः अनुमन्य की जाती है।

कार्यदायी संस्था, कन्सेशन एग्रीमेंट एवं बिल्डर बायर एग्रीमेंट के प्रावधानों के अनुसार योजना को निर्धारित अवधि में पूर्ण करना सुनिश्चित करेंगे। पुर्नवधीकृत मानचित्र में दर्शित वैद्यता समय किसी भी स्थिति में कन्सेशन एग्रीमेंट की शर्तो को प्रभावित नही करता है।

ग्रुप हाऊसिंग पॉकेट सं0 बी-45, (आई0बी0 व ओ0एन0जी0सी0) सैक्टर -134, का क्षेत्रफल	=	26,714.00 वर्ग मी0
कुल स्वीकृत एफ.ए.आर.	=	88,255.377 वर्ग मी0
स्वीकृत प्रथम तहखाना क्षेत्रफल (नॉन एफ0ए0आर0)	=	18,954.422 वर्ग मी0
स्वीकृत द्वितीय तहखाना क्षेत्रफल (नॉन एफ0ए0आर0)	=	19,134.768 वर्ग मी0
कुल स्वीकृत सेवा क्षेत्रफल (नॉन एफ.ए.आर.)	=	5,975.169 वर्ग मी0
कुल स्वीकृत क्षेत्रफल(एफ0ए0आर0+नॉन एफ0ए0आर0)	=	1,32,319.736 वर्ग मी0
योजना में कुल स्वीकृत ड्यूलिंग यूनिट्स	=	615
योजना में कुल अधिभोग निर्गत क्षेत्रफल		
निर्मित एफ0ए0आर0 क्षेत्रफल	=	72,114.36 वर्ग मी0
निर्मित प्रथम तहखाना क्षेत्रफल (नॉन एफ0ए0आर0)	=	17,101.18 वर्ग मी0
निर्मित द्वितीय तहखाना क्षेत्रफल (नॉन एफ0ए0आर0)	=	17,080.88 वर्ग मी0
निर्मित सेवा क्षेत्रफल (नॉन एफ0ए0आर0)	=	7,210.02 वर्ग मी0
कुल अधिभोग निर्गत क्षेत्रफल(एफ0ए0आर0 + नॉन एफ0ए0आर0)	=	1,13,506.44 वर्ग मी0
योजना में कुल अधिभोग जारी ड्यूलिंग यूनिट्स	=	496
पुर्नवैध्यीकरण हेतु क्षेत्रफल		
शेष एफ0ए0आर0 क्षेत्रफल	=	16,141.017 वर्ग मी0
शेष प्रथम तहखाना क्षेत्रफल (नॉन एफ0ए0आर0)	=	1,853.242 वर्ग मी0
शेष द्वितीय तहखाना क्षेत्रफल (नॉन एफ0ए0आर0)	=	2,053.888 वर्ग मी0
कुल पुर्नवैध्यीकृत क्षेत्रफल(एफ0ए0आर0 + नॉन एफ0ए0आर0)	=	20048.147 वर्ग मी0
योजना में शेष स्वीकृत ड्यूलिंग यूनिट्स	=	119

नियम व शर्तेः-

1. संदर्भित ग्रुप हाऊसिंग पॉकेट की भवन मानचित्र की स्वीकृति पत्र दिनाँक 19.01.2012 में उल्लिखित शर्ते यथावत रहेगी।
2. योजना में 64.70 प्रतिशत अतिरिक्त प्रतिकर की देयता के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या–25579/2021 में जो भी अंतिम निर्णय पारित होगा, वह कार्यदायी संस्था को मान्य होगा।
3. कार्यालय आदेश दिनॉक 15.09.2022 के अनुसार कार्यदायी संस्था के स्वयं के द्वारा विकसित की जा रही योजनाओं में अनुमन्य समयवृद्धि दिनॉक 31.12.2025 तक निःशुल्क प्रदान की गयी है। उक्त तिथि के उपरान्त प्राधिकरण की प्रचलित नीति के अनुसार नियमानुसर समयवृद्धि शुल्क देय होगा।
4. कार्यदायी संस्था को परिसर के अन्दर ही कूडा एवं ठोस अपशिष्ट के निस्तारण हेतु कूडा एवं ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन प्लान्ट स्थापित करना होगा ।
5. उ0प्र0 रियल स्टेट रेग्यूलेट्री एक्ट-2016, पर्यावरण विभाग / माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण/माननीय न्यायालय/उच्च न्यायालय/सर्वोच्च न्यायालय तथा अन्य सम्बन्धित राज्य व केन्द्र सरकार के समय-समय पर लागू होने वाले सभी अधिनियमों एवं उसके अन्तर्गत नियमों / विनियमों/निर्देशों/आदेशों आदि (अध्यावधिक यथा संशोधित एवं प्रभावी) का अनुपालन कार्यदायी संस्था/पट्टा धारक/उप पट्टा धारक पर बाध्यकारी होगा ।
6. प्राधिकरण द्वारा सैक्टर-128,129,131,133 व 134 का दिनॉक 20.02.2015 को स्वीकृत पुनरीक्षित भू–विन्यास मानचित्र में उल्लेखित शर्तो का पालन करना होगा।
7. इलेक्ट्रीक वाहन चार्जिंग की व्यवस्था कार्यदायी संस्था को परिसर के अंदर करना होगा।

प्रतिलिपिः तहसीलदार, (भूलेख) को सूचनार्थ ।

भवदीय,

REVALIDATION
Map for proposed Building is as per Bye Laws. Submitted for Approval Please
Asstt. Asstt/Arch. Architect

नाम 25/11/2022
पद ....
नौएडा
(इश्तियाक अहमद)
महाप्रबन्धक (नियोजन)
नौएडा

पंजीकृत डाक द्वारा

नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण

वास्तुकला एवं नियोजन विभाग

मुख्य प्रशासनिक भवन, सेक्टर-6 नौएडा(उ0प्र0)

संख्याः-नौएडा/मु0वा0नि0/2020/III-258/ 05

दिनांकः 24-01-2020

सेवा में,

मैसर्स जे0पी0 इन्फ्राटेक लि0
सैक्टर-128, नौएडा

बिषयः- मै0 जे0पी0 इन्फ्राटेक लि0 द्वारा सैक्टर-128,129,131,133 व 134 में विकसित की जा रही टॉऊनशिप योजना के अन्तर्गत नियोजित ग्रुप हाऊसिंग पॉकेट सं0 बी-45, (शौर्य) सैक्टर - 134, नौएडा के भवन मानचित्र के पुर्नवैद्यीकरण के सम्बन्ध में ।

कृपया आपके द्वारा सैक्टर-128,129,131,133 व 134 में विकसित की जा रही टॉऊनशिप योजना के अन्तर्गत नियोजित ग्रुप हाऊसिंग पॉकेट सं0 बी-45, (शौर्य) सैक्टर - 134, नौएडा के प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत मानचित्रों के पुर्नवैधीकरण हेतु आवेदन के साथ पुर्नवैधीकरण शुल्क का लेखा विभाग द्वारा सत्यापन के आधार पर संदर्भित योजना के दिनांक 12.10.2012 को स्वीकृत मानचित्रों को पुर्नवैधीकृत किया जाता है । पुर्नवैधीकृत मानचित्रों की अधिकतम **वैद्यता -5 वर्ष** दिनांक 11.10.2017 से 10.10.2022 तक के लिए अनुमन्य होगी ।

कार्यदायी संस्था, कन्सेशन एग्रीमेंट एवं बिल्डर बायर एग्रीमेंट के प्रावधानों के अनुसार योजना को निर्धारित अवधि में पूर्ण करना सुनिश्चित करेंगे। पुर्नवैधीकृत मानचित्र में दर्शित वैद्यता समय किसी भी स्थिति में कन्सेशन एग्रीमेंट की शर्तो को प्रभावित नही करता है।

ग्रुप हाऊसिंग पॉकेट सं0 बी-45 (शौर्य) सैक्टर - 134, का क्षेत्रफल	=	66,311.689 वर्ग मी0
कुल स्वीकृत एफ.ए.आर.	=	39,288.947 वर्ग मी0
कुल स्वीकृत तहखाना क्षेत्रफल (नॉन एफ.ए.आर.)	=	23,596.371 वर्ग मी0
कुल स्वीकृत सेवा क्षेत्रफल (नॉन एफ.ए.आर.)	=	3,426.371 वर्ग मी0
कुल स्वीकृत क्षेत्रफल(एफ0ए0आर0+नॉन एफ0ए0आर0)	=	66,311.689 वर्ग मी0

योजना में कुल अधिभोग निर्गत क्षेत्रफल

निर्मित एफ0ए0आर0 क्षेत्रफल	=	13278.867 वर्ग मी0
निर्मित प्रथम तहखाना क्षेत्रफल (नॉन एफ0ए0आर0)	=	3,314.024 वर्ग मी0
निर्मित द्वितीय तहखाना क्षेत्रफल (नॉन एफ0ए0आर0)	=	3,314.024 वर्ग मी0
निर्मित सेवा क्षेत्रफल (नॉन एफ0ए0आर0)	=	1,161.84 वर्ग मी0
कुल अधिभोग निर्गत क्षेत्रफल(एफ0ए0आर0 + नॉन एफ0ए0आर0)	=	21,068.755 वर्ग मी0

पुर्नवैध्यीकरण हेतु क्षेत्रफल

शेष एफ0ए0आर0 क्षेत्रफल	=	26,010.08 वर्ग मी0
शेष प्रथम तहखाना क्षेत्रफल (नॉन एफ0ए0आर0)	=	8,597.831 वर्ग मी0
शेष द्वितीय तहखाना क्षेत्रफल (नॉन एफ0ए0आर0)	=	8,370.493 वर्ग मी0
शेष सेवा क्षेत्रफल (नॉन एफ0ए0आर0)	=	2,264.531 वर्ग मी0
कुल पुर्नवैध्यीकृत क्षेत्रफल(एफ0ए0आर0 + नॉन एफ0ए0आर0)	=	45,242.934 वर्ग मी0

नियम व शर्तेः-

1. संदर्भित ग्रुप हाऊसिंग पॉकेट की भवन मानचित्र की स्वीकृति पत्र दिनाँक 12.10.2012 में उल्लिखित शर्ते यथावत रहेगी।
2. योजना में 64.70% की अतिरिक्त प्रतिकर की देयता अधिभोग प्रमाण पत्र के आवेदन के समय नियमानुसार जमा कराना होगा।
3. सन्दर्भित योजना में कार्यदायी संस्था को समय वृद्धि के सम्बन्ध में नौएडा प्राधिकरण एवं यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण का निर्णय मान्य होगा तथा इससे बायर्स बिल्डर एग्रीमेंट प्रभावित नही होगा ।
4. कार्यदायी संस्था को परिसर के अन्दर ही कूडा एवं ठोस अपशिष्ट के निस्तारण हेतु कूडा एवं ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन प्लान्ट स्थापित करना होगा ।
5. उ0प्र0 रियल स्टेट रेग्यूलेट्री एक्ट-2016, पर्यावरण विभाग / माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण/माननीय न्यायालय/उच्च न्यायालय/सर्वोच्च न्यायालय तथा अन्य सम्बन्धित राज्य व केन्द्र सरकार के समय-समय पर लागू होने वाले सभी अधिनियमों एवं उसके अन्तर्गत नियमों / विनियमों/निर्देशों/आदेशों आदि (अध्यावधिक यथा संशोधित एवं प्रभावी) का अनुपालन कार्यदायी संस्था/पट्टा धारक/उप पट्टा धारक पर बाध्यकारी होगा ।

संलग्नः- पुर्नवैद्यीकरण मानचित्र की प्रति ।

प्रतिलिपिः तहसीलदार, (भूलेख) को सूचनार्थ ।

भवदीय,

नाम ....

पद ....

नौएडा

(एस० सी गौड)

महाप्रबन्धक–नियोजन

नौएडा

Map for proposed Building is ... per Bye Laws. Submitted for approval please.

Asstt. Arch. Architect

पत्रावली संख्या III - 263

पंजीकृत डाक द्वारा

नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण

वास्तुकला एवं नियोजन विभाग

मुख्य प्रशासनिक भवन, सेक्टर-6 नौएडा(उ0प्र0)

संख्याः-नौएडा/मु0वा0नि0/2020/III-263/ 04

दिनांकः 24-1-20

सेवा में,

मैसर्स जे0पी0 इन्फ्राटेक लि0
सैक्टर-128, नौएडा

बिषयः- मै0 जे0पी0 इन्फ्राटेक लि0 द्वारा सैक्टर-128,129,131,133 व 134 में विकसित की जा रही टॉऊनशिप योजना के अन्तर्गत नियोजित ग्रुप हाऊसिंग पॉकेट सं0 बी-45, सैक्टर - 134, नौएडा के भवन मानचित्र के पुर्नवैद्यीकरण के सम्बन्ध में ।

कृपया आपके द्वारा सैक्टर-128,129,131,133 व 134 में विकसित की जा रही टॉऊनशिप योजना के अन्तर्गत नियोजित ग्रुप हाऊसिंग पॉकेट सं0 बी-45, सैक्टर - 134, नौएडा के प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत मानचित्रों के पुर्नवैधीकरण हेतु आवेदन के साथ पुर्नवैधीकरण शुल्क का लेखा विभाग द्वारा सत्यापन के आधार पर संदर्भित योजना के दिनांक 19.01.2012 को पुनरीक्षित स्वीकृत मानचित्रों को पुर्नवैधीकृत किया जाता है । **पुर्नवैधीकृत** मानचित्रों की अंधिकतम **वैद्यता -5 वर्ष** दिनांक 18.01.2017 से 17.01.2022 तक के लिए अनुमन्य होगी ।

कार्यदायी संस्था, कन्सेशन एग्रीमेंट एवं बिल्डर बायर एग्रीमेंट के प्रावधानों के अनुसार योजना को निर्धारित अवधि में पूर्ण करना सुनिश्चित करेंगे। पुर्नवैधीकृत मानचित्र में दर्शित वैद्यता समय किसी भी स्थिति में कन्सेशन एग्रीमेंट की शर्तो को प्रभावित नही करता है।

ग्रुप हाऊसिंग पॉकेट सं0 बी-45, (आई0बी0 व ओ0एन0जी0सी0) सैक्टर -134, का क्षेत्रफल	=	13,23,321.00 वर्ग मी0
कुल स्वीकृत एफ.ए.आर.	=	88,255.377 वर्ग मी0
कुल स्वीकृत तहखाना क्षेत्रफल (नॉन एफ.ए.आर.)	=	38,089.190 वर्ग मी0
कुल स्वीकृत सेवा क्षेत्रफल (नॉन एफ.ए.आर.)	=	5,975.169 वर्ग मी0
कुल स्वीकृत क्षेत्रफल(एफ0ए0आर0+नॉन एफ0ए0आर0)	=	13,23,321.00 वर्ग मी0
योजना में कुल अधिभोग निर्गत क्षेत्रफल		
निर्मित एफ0ए0आर0 क्षेत्रफल	=	72,114.36 वर्ग मी0
निर्मित प्रथम तहखाना क्षेत्रफल (नॉन एफ0ए0आर0)	=	17,101.18 वर्ग मी0
निर्मित द्वितीय तहखाना क्षेत्रफल (नॉन एफ0ए0आर0)	=	17,080.88 वर्ग मी0
निर्मित सेवा क्षेत्रफल (नॉन एफ0ए0आर0)	=	7,210.02 वर्ग मी0
कुल अधिभोग निर्गत क्षेत्रफल(एफ0ए0आर0 + नॉन एफ0ए0आर0)	=	1,13,506.44 वर्ग मी0
पुर्नवैध्यीकरण हेतु क्षेत्रफल		
शेष एफ0ए0आर0 क्षेत्रफल	=	16,141.17 वर्ग मी0
शेष प्रथम तहखाना क्षेत्रफल (नॉन एफ0ए0आर0)	=	18,53.24 वर्ग मी0
शेष द्वितीय तहखाना क्षेत्रफल (नॉन एफ0ए0आर0)	=	2,053.88 वर्ग मी0
कुल पुर्नवैध्यीकृत क्षेत्रफल(एफ0ए0आर0 + नॉन एफ0ए0आर0)	=	20,048.29 वर्ग मी0

नियम व शर्तेः-

1. संदर्भित ग्रुप हाऊसिंग पॉकेट की पुनरीक्षित भवन मानचित्र की स्वीकृति पत्र दिनाँक 19.01.2012 में उल्लिखित शर्ते यथावत रहेगी।
2. योजना में 64.70% की अतिरिक्त प्रतिकर की देयता अधिभोग प्रमाण पत्र के आवेदन के समय नियमानुसार जमा कराना होगा।
3. सन्दर्भित योजना में कार्यदायी संस्था को समय वृद्धि के सम्बन्ध में नौएडा प्राधिकरण एवं यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण का निर्णय मान्य होगा तथा इससे बायर्स बिल्डर एग्रीमेंट प्रभावित नही होगा ।
4. कार्यदायी संस्था को परिसर के अन्दर ही कूडा एवं ठोस अपशिष्ट के निस्तारण हेतु कूडा एवं ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन प्लान्ट स्थापित करना होगा ।
5. उ0प्र0 रियल स्टेट रेग्यूलेट्री एक्ट-2016, पर्यावरण विभाग / माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण/माननीय न्यायालय/उच्च न्यायालय/सर्वोच्च न्यायालय तथा अन्य सम्बन्धित राज्य व केन्द्र सरकार के समय-समय पर लागू होने वाले सभी अधिनियमों एवं उसके अन्तर्गत नियमों / विनियमों/निर्देशों/आदेशों आदि (अध्यावधिक यथा संशोधित एवं प्रभावी) का अनुपालन कार्यदायी संस्था/पट्टा धारक/उप पट्टा धारक पर बाध्यकारी होगा ।

संलग्नः- पुर्नवैद्यीकरण मानचित्र की प्रति ।

प्रतिलिपिः तहसीलदार, (भूलेख) को सूचनार्थ ।

भवदीय,

नाम .... (एस0 पी0 गौड)

पद .... महाप्रबन्धक–नियोजन

नौएडा

Map for proposed Building ... per Bye Laws. Submitted for approval ... lease.

Assit.   Asstt. Arch.   Architect

पंजीकृत डाक द्वारा

पत्रावली संख्या - III - 258

नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण

वास्तुकला एवं नियोजन विभाग
मुख्य प्रशासनिक भवन सेक्टर-6 नोएडा(उ0प्र0)

संख्या नोएडा/मु0वा0नि0/ **III - 258**/575
दिनांकः 12-10-2012

सेवा में,

मैसर्स जेपी इन्फ्राटेक लिमिटेड
सैक्टर : 128
नौएडा

आपके प्रार्थना पत्र **दिनांक 27.09.2012** संदर्भ में आपके द्वारा यमुना एक्सप्रेसवे (पुराना नाम ताज एक्सप्रेसवे) के अन्तर्गत निष्पादित कन्सेशन एग्रीमेंट के प्राविधानों के तहत **पाकेट सं0 बी - 45 (Klassic Shaurya) सैक्टर - 134, नौएडा** में हस्तान्तरित भूमि पर टाऊनशिप विकसित करने के लिए निर्धारित आवासीय उपयोग हेतु भूमि पर प्रस्तावित ग्रुप हाऊसिंग के भवन निर्माण की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो के साथ प्रदान की जाती है:-

1. यह मानचित्र स्वीकृति की दिनांक से अधिकतम **5 वर्ष** (निर्माण अवधि होने की दशा में) तक वैध है।
2. मानचित्रों की इस स्वीकृति से इस भूखण्ड से सम्बन्धित किसी भी शासकीय निकाय जैसे (नगरपालिका, नोएडा प्राधिकरण) किसी अन्य व्यक्ति का अधिकार तथा स्वामित्व किसी प्रकार से भी प्रभावित(एफेक्टेड) नहीं माना जायेगा ।
3. भवन मानचित्र जिस प्रयोजन हेतु स्वीकृत कराया गया है केवल उसी प्रयोग में लाया जायेगा ।
4. यदि भविष्य में विकास कार्य हेतु कोई विकास व्यय मॉगा जायेगा तो वह किसी बिना आपत्ति के देय होगा ।
5. दरवाजे व खिडकियॉ इस तरह से लगाये जायेंगे कि जब वह खुले तो उसके पल्ले किसी सरकारी भूमि या सडक की ओर बढाव(प्रोजक्टेड) न हों ।
6. विजली की लाईन से पॉच फुट के अन्दर कोई निर्माण कार्य न किया जायेगा ।
7. कार्यदायी संस्था द्वारा भवन सामग्री भूखण्ड के सामने रखने से सडक पर यातायात अवरूद्ध नहीं होना चाहिए ।
8. स्वीकृत मानचित्रों का एक सैट निर्माण स्थल पर रखना होगा ताकि उसकी मौके पर कभी भी जॉच की जा सके तथा निर्माण कार्य स्वीकृत मानचित्रों के स्पेसीफिकेशन नोएडा भवन नियमावली के नियमों के अनुसार ही कराया जायेगा । कार्यदायी संस्था तहखाने का निर्माण कार्य पूरा करने के उपरान्त तहखाने का भवन प्रकोष्ठ विभाग नोएडा द्वारा निरीक्षण कराने के बाद ही भूतल का निर्माण कार्य शुरू करेगा । अन्यथा स्वीकृत मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा ।
9. कार्यदायी संस्था मेजेनाइन तल/अन्य तल का स्वीकृत मानचित्र के अनुसार ही निर्माण करायेगा अन्यथा स्वीकृत मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा ।
10. सडक पर अथवा बैक लेन में कोई रेम्प अथवा स्टैप्स नहीं बनाये जायेगे। वह कार्य अपनी ही भूमि पर करें ।
11. कार्यदायी संस्था द्वारा जल एवं मल की निकासी की व्यवस्था नौएडा प्राधिकरण के प्ररियोजना अभियन्ता के साथ समन्वय करने एवं निरीक्षण के उपरान्त ही संस्था उसे ढकेगी ।
12. यह मानचित्र स्वीकृति की दिनांक से अधिकतम 5 वर्ष की अवधि तक वैध रहेगा बशर्ते संस्था को पट्टे के अधिकार उपलब्ध हों अथवा उसको पुर्नजीवित करा लिया हो । पट्टे के अधिकार उपलब्ध/पुनर्जीवित न होने की दशा में मानचित्र की वैधता, पट्टे की वैधता तिथि तक समझा जायेगा ।
13. कार्यदायी संस्था को अधिभोग प्रमाण पत्र हेतु आवेदन करते समय सम्बन्धित विभाग से नियमानुसार समयवृद्धि पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा ।
14. कार्यदायी संस्था निर्माण कार्य शुरू करने के बाद तहखाने की छत डालने से पूर्व कुर्सी तल पर एवं भूतल की छत डालने से पूर्व भवन प्रकोष्ठ नोएडा द्वारा भवन का निरीक्षण अवश्य करायेगा ।
15. कार्यदायी संस्था द्वारा प्रश्नगत योजना की सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र दिनांक 23.03.11 में उल्लेखित शर्तो का अनुपालन करना होगा ।
16. उत्तर प्रदेश अपार्टमेन्ट (Promotion of Construction, ownership & Maintenance) एक्ट, 2010; तथा इसके अधीन जारी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा ।

17. सन्दर्भित योजना में भूजल की अनधिकृत निकासी एवं दुरुपयोग नही किया जायेगा एवं प्रश्नगत क्षेत्र की हाईड्रोलोजी के दृष्टिगत रेनवाटर हार्वेस्टिंग/भू-जल दोहन की व्यवस्था केन्द्रीय भू-जल परिषद अथवा उत्तर प्रदेश भू-ज विभाग के प्राविधानों के अन्तर्गत करना होगा ।

स्वीकृत मानचित्र इस पत्र के साथ सलंग्न है भवन कार्य मानचित्र की वैधता तिथि के अन्दर पूरा होने के उपरान्त अधिभोग प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र देना होगा तथा बिना आज्ञा व अधिभोग प्रमाण पत्र प्राप्त किये भवन को प्रयोग में नही ले सकते है ।

कन्सेषन एग्रीमेन्ट के तहत टाउनषिप विकसित करने हेतु सैक्टर-128, 129, 131, 133 एवं 134 में हस्तान्तरित भूमि का विवरण निम्नवत है:-

Sl. No.	LAND USE DESTRIBUTION	AREA (ACRES)	%age
1.	RESIDENTIAL	603.27	58.60
2.	COMMERCIAL	21.53	2.09
3.	INSTITUTIONAL & COMMUNITY FACILITIES	105.56	10.25
•	COMMUNITY FACILITIES	20.81	2.02
•	HEALTH	26.34	2.56
•	INSTITUTIONAL	58.41	5.67
4.	RECREATIONAL	154.43	15.00
5.	ROADS AND TRANSPORATION	144.75	14.06
TOTAL LAND UNDER MASTER PLAN RESIDENTIAL ZONE		1029.55	100.00
TOTAL LAND UNDER MASTER PLAN COMMERCIAL IN SECTOR-129		43.29	
TOTAL LAND AREA		1072.84	

कन्सेषन एग्रीमेन्ट के तहत टाउनषिप विकसित करने हेतु सैक्टर-151 में हस्तान्तरित भूमि का विवरण निम्नवत है:-

Sl. No.	LAND USE DESTRIBUTION	AREA (ACRES)	%age
1.	Roads and Transportation	7.809	12.00
2.	Recreational Green	9.762	15.00
3.	Commercial	2.603	4.00
4.	Institutional/Facilities	8.421	12.94
5.	Residential	36.485	56.06
	Total	65.08 Acres or 26.35 Hectares	100%

कार्यदायी संस्था को सम्पूर्ण योजना में कुल हस्तान्तरित भूमि 1072.84 + 65.08 = 1137.92 एकड (46,05,100.00 वर्ग मी0)

- कन्शेसन एग्रीमेन्ट के तहत कुल हस्तान्तरित भूमि (1137.92 एकड = **46,05,100.00 वर्ग मी0**) पर अधिकतम अनुमन्य एफ.ए.आर. @ 1.5 = 69,07,650.00 वर्ग मी0
- योजना (सैक्टर-128, 129, 131, 133 एवं 134) आवासीय उपयोग हेतु कुल निर्धारित भूमि का क्षेत्रफल = 24,41,347.073 वर्गमी0 (603.27एकड.)
- अनुमन्य भू-आच्छादित क्षेत्रफल @ 40% (वर्तमान में प्रचलित भवन विनियमावली के अनुसार) = 9,76,538.820 वर्ग मी0
- अनुमन्य एफ.ए.आर. (आवासीय उपयोग हेतु निर्धारित भूमि 603.27 एकड.) के सापेक्ष में अधिकतम अनुमन्य एफ.ए.आर.@ 2.0 (प्राधिकरण की बोर्ड बैठक दिनांक 11.08.08 में लिए गये के अनुरुप = 48,82,694.146 वर्ग मी0

- अनुमन्य ऊँचाई = कोई सीमा नही
- पाकेट सं0 **B- 45** (**Klassic Shaurya**) के लिए प्रस्तावित ऊँचाई = 51.6 मीटर

कार्यदायी संस्था द्वारा पाकेट सं0 बी – **45** (**Klassic Shaurya**) के लिए विभिन्न तलों पर किये गये प्रस्तावित क्षेत्रफल का तलवार विवरण निम्नानुसार है:-

तल	प्रस्तावित क्षेत्रफल पाकेट सं0 बी – 45 (Klassic Shaurya) (वर्ग मी0)
भूतल	2934.622
प्रथम तल	2732.352
द्वितीय तल	2638.572
तृतीय तल	2572.713
चर्तुथ तल	2572.713
पंचम तल	2572.713
छटवां तल	2572.713
सातवां तल	2572.713
आठवां तल	2572.713
नौवा तल	2572.713
दसवां तल	2572.713
ग्यारहवां तल	2572.713
बारवां तल	2572.713
तेरहवां तल	2572.713
चौदहवांतल	2683.561
कुल एफ.ए.आर.	**39288.947**
तहखाना तहखाना : प्रथम तहखाना : द्वितीय कुल क्षेत्रफल	11911.855 11684.517 **23596.371**
सेवा क्षेत्रफल	**3426.371**
कुल क्षेत्रफल (तहखाना एवं सेवा सहित)	**66311.689**

एफ0ए0आर0 विवरण–

Sl. No.	Description		Land Use	Date of Approval	Approved FAR (Sqm.) by NOIDA till date	Comm. Approved FAR area (Sqm.)	Revised FAR	Balance FAR (Sqm.)
1	2		3	4	5	6	7	9
1.	Primary School	I-3/1	Institutional	24.11.08	10026.23	10026.230	....	68,97,623.77
2.	Secondary School	I-2/1	Institutional	24.11.08	14006.13	24032.360	....	68,83,617.64
3.	Group Housing Kalypso & Imperial Tower	B1/B2/B3	Residential	24.03.09	323628.295	347660.655	....	65,59,989.345
4.	Group Housing (PH-1,PH-2,PH-3,PH-4,PT-1,PT-2,TH-1 & TH-2)	B4	Residential	29.10.09	253144.64	600805.295	....	63,06,844.705
5.	Group Housing (Revise)	B1, B2, B3	Residential	11.10.11	(323628.295)	620789.370	343612.373 (19984.075)	62,86,860.627

6.	Group Housing Aman	151	Residential	20.10.11	324587.222	945376.592		59,62,273.405
7.	Group Housing Kosmos	B-35, 36,37,38, 41B & 43	Residential	01.11.11	7,53,831.85	16,99,208.44		52,08,441.555
8.	Primary School revised	I-3/1	Institutional	18.11.11	(10026.23)	1702188.71	13006.50 (2980.27)	5205461.285
9.	Secondary School (Revise)	I-2/1	Institutional	18.11.11	(14006.13)	1707310.55	19127.97 (5121.84)	5200339.445
10.	Group Hosing Klassic	B-39 and B-40	Residential	25.11.11	110584.39	1817894.94		5089755.055
11.	Group Hosing Klassic IB & ONGC	B-45	Residential	19.01.12	88255.377	1906150.317		4939516.118
12.	Group Hosing Knight Court	B-5	Residential	19.01.12	70085.67	1976235.987		4931414.008
13.	Group Hosing Klassic	B-41A and B-42	Residential	02.03.12	153121.255	2129357.242		4778292.753
14.	Group Hosing Kensington Park & Boulevard	B-12,13,14, 15,16,17 & 18	Residential	26.03.12	500017.74	2629374.982		4278275.013
15.	Group Hosing Klassic Heights	B-34A	Residential	....	112407.13	2741782.112		4165867.883
16.	Group Hosing Kasa Isles	B-44	Residential	....	206603.10	2948385.212		3959264.783
17.	Group Hosing Augusta Townhomes	B-6 and B-7	Residential	....	21692.23	2970077.442		3937572.553
18	Group Hosing Klassic Shaurya	B-45	Residential	....	39288.947	3009366.389		3898283.606
					3009366.389			

प्रस्तावित भू-आच्छादन क्षेत्रफल = 3975.218 वर्ग मी0

प्रस्तावित एफ0ए0आर0 = 39288.947 वर्ग मी0

Map for proposed Building is as per Bye Laws. Submitted for approval please.

Pl. Asstt. **Asstt. Arch.** **Architect**

नाम...................
पद................... 12/10
नोएडा

वी० ए० देवपुजारी
मुख्य वास्तुविद नियोजक
नोएडा

प्रतिलिपि:

1. मुख्य अनुरक्षण अभियन्ता, नौएडा को सादर सूचनार्थ ।
2. तहसीलदार (ए), नौएडा को सूचनार्थ ।
3. मैसर्स जेपी इन्फ्राटेक लिमिटेड की नियोजन विभाग की मास्टर फाइल में रिकार्ड update करने हेतु ।

पंजीकृत डाक द्वारा

पत्रावली संख्या - III - 263

नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण

वास्तुकला एवं नियोजन विभाग

मुख्य प्रशासनिक भवन सेक्टर-6 नोएडा(उ0प्र0)

संख्या नोएडा/मु0वा0नि0/ III - 263/......493

दिनांकः 19/1/12

सेवा में,

मैसर्स जेपी इन्फ्राटेक लिमिटेड
सैक्टर : 128
नौएडा

आपके प्रार्थना पत्र **दिनांक 20.12.2011** संदर्भ में आपके द्वारा यमुना एक्सप्रेसवे (पुराना नाम ताज एक्सप्रेसवे) के अन्तर्गत निष्पादित कन्सेशन एग्रीमेंट के प्राविधानों के तहत **पाकेट सं0 बी-45, PH-1 (क्लासिक – IB & ONGC) सैक्टर -134, नौएडा** में हस्तान्तरित भूमि पर टाऊनशिप विकसित करने के लिए निर्धारित आवासीय उपयोग हेतु भूमि पर प्रस्तावित ग्रुप हाऊसिंग के भवन निर्माण की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो के साथ प्रदान की जाती है:-

1. यह मानचित्र स्वीकृति की दिनांक से अधिकतम **5 वर्ष** (निर्माण अवधि होने की दशा में) तक वैध है।
2. मानचित्रों की इस स्वीकृति से इस भूखण्ड से सम्बन्धित किसी भी शासकीय निकाय जैसे (नगरपालिका, नोएडा प्राधिकरण) किसी अन्य व्यक्ति का अधिकार तथा स्वामित्व किसी प्रकार से भी प्रभावित(एफेक्टेड) नहीं माना जायेगा ।
3. भवन मानचित्र जिस प्रयोजन हेतु स्वीकृत कराया गया है केवल उसी प्रयोग में लाया जायेगा ।
4. यदि भविष्य में विकास कार्य हेतु कोई विकास व्यय माँगा जायेगा तो वह किसी बिना आपत्ति के देय होगा ।
5. दरवाजे व खिडकियॉ इस तरह से लगाये जायेंगे कि जब वह खुले तो उसके पल्ले किसी सरकारी भूमि या सडक की ओर बढाव(प्रोजक्टेड) न हों ।
6. विजली की लाईन से पॉच फुट के अन्दर कोई निर्माण कार्य न किया जायेगा ।
7. कार्यदायी संस्था द्वारा भवन सामग्री भूखण्ड के सामने रखने से सडक पर यातायात अवरूद्ध नहीं होना चाहिए ।
8. स्वीकृत मानचित्रों का एक सैट निर्माण स्थल पर रखना होगा ताकि उसकी मौके पर कभी भी जॉच की जा सके तथा निर्माण कार्य स्वीकृत मानचित्रों के स्पेसीफिकेशन नोएडा भवन नियमावली के नियमों के अनुसार ही कराया जायेगा । कार्यदायी संस्था तहखाने का निर्माण कार्य पूरा करने के उपरान्त तहखाने का भवन प्रकोष्ठ विभाग नोएडा द्वारा निरीक्षण कराने के बाद ही भूतल का निर्माण कार्य शुरू करेगा । अन्यथा स्वीकृत मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा ।
9. कार्यदायी संस्था मेजेनाइन तल/अन्य तल का स्वीकृत मानचित्र के अनुसार ही निर्माण करायेगा अन्यथा स्वीकृत मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा ।
10. सडक पर अथवा बैक लेन में कोई रेम्प अथवा स्टैप्स नहीं बनाये जायेगे। वह कार्य अपनी ही भूमि पर करें ।
11. कार्यदायी संस्था द्वारा जल एवं मल की निकासी की व्यवस्था नौएडा प्राधिकरण के प्ररियोजना अभियन्ता के साथ समन्वय करने एवं निरीक्षण के उपरान्त ही संस्था उसे ढकेगी ।
12. यह मानचित्र स्वीकृति की दिनांक से अधिकतम 5 वर्ष की अवधि तक वैध रहेगा बशर्ते संस्था को पट्टे के अधिकार उपलब्ध हों अथवा उसको पुर्नजीवित करा लिया हो । पट्टे के अधिकार उपलब्ध/पुनर्जीवित न होने की दशा में मानचित्र की वैधता, पट्टे की वैधता तिथि तक समझा जायेगा ।
13. कार्यदायी संस्था को अधिभोग प्रमाण पत्र हेतु आवेदन करते समय सम्बन्धित विभाग से नियमानुसार समयवृद्धि पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा ।
14. कार्यदायी संस्था निर्माण कार्य शुरू करने के बाद तहखाने की छत डालने से पूर्व कुर्सी तल पर एवं भूतल की छत डालने से पूर्व भवन प्रकोष्ठ नोएडा द्वारा भवन का निरीक्षण अवश्य करायेगा ।
15. कार्यदायी संस्था द्वारा प्रश्नगत योजना की सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र दिनांक 23.03.11 में उल्लेखित शर्तो का अनुपालन करना होगा ।
16. उत्तर प्रदेश अपार्टमेन्ट (Promotion of Construction, ownership & Maintenance) एक्ट, 2010; तथा इसके अधीन जारी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा ।

स्वीकृत मानचित्र इस पत्र के साथ सलंग्न है भवन कार्य मानचित्र की वैधता तिथि के अन्दर पूरा होने के उपरान्त अधिभोग प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र देना होगा तथा बिना आज्ञा व अधिभोग प्रमाण पत्र प्राप्त किये भवन को प्रयोग में नही ले सकते है ।

कन्सेशन एग्रीमेन्ट के तहत टाउनशिप विकसित करने हेतु सैक्टर–128, 129, 131, 133 एवं 134 में हस्तान्तरित भूमि का विवरण निम्नवत है:–

Sl. No.	LAND USE DESTRIBUTION	AREA (ACRES)	%age
1.	RESIDENTIAL	603.27	58.60
2.	COMMERCIAL	21.53	2.09
3.	INSTITUTIONAL & COMMUNITY FACILITIES	105.56	10.25
•	COMMUNITY FACILITIES	20.81	2.02
•	HEALTH	26.34	2.56
•	INSTITUTIONAL	58.41	5.67
4.	RECREATIONAL	154.43	15.00
5.	ROADS AND TRANSPORATION	144.75	14.06
	TOTAL LAND UNDER MASTER PLAN RESIDENTIAL ZONE	1029.55	100.00
	TOTAL LAND UNDER MASTER PLAN COMMERCIAL IN SECTOR-129	43.29	
	TOTAL LAND AREA	1072.84	

कन्सेशन एग्रीमेन्ट के तहत टाउनशिप विकसित करने हेतु सैक्टर–151 में हस्तान्तरित भूमि का विवरण निम्नवत है:–

Sl. No.	LAND USE DESTRIBUTION	AREA (ACRES)	%age
1.	Roads and Transportation	7.809	12.00
2.	Recreational Green	9.762	15.00
3.	Commercial	2.603	4.00
4.	Institutional/Facilities	8.421	12.94
5.	Residential	36.485	56.06
	Total	65.08 Acres or 26.35 Hectares	100%

कार्यदायी संस्था को सम्पूर्ण योजना में कुल हस्तान्तरित भूमि 1072.84 + 65.08 = 1137.92 एकड.
(46,05,100.00 वर्ग मी0)

- कन्शेसनर एग्रीमेन्ट के तहत कुल हस्तान्तरित भूमि (1137.92 एकड = **46,05,100वर्ग मी0**) पर अधिकतम अनुमन्य एफ.ए.आर. @ 1.5 = 69,07,650.00 वर्ग मी0
- योजना (सैक्टर–128, 129, 131, 133 एवं 134) आवासीय उपयोग हेतु कुल निर्धारित भूमि का क्षेत्रफल =24,41,347.073 वर्गमी0 (603.27एकड.)
- अनुमन्य भू–आच्छादित क्षेत्रफल @ 40% (वर्तमान में प्रचलित भवन विनियमावली के अनुसार) = 9,76,538.820 वर्ग मी0
- अनुमन्य एफ.ए.आर. (आवासीय उपयोग हेतु निर्धारित भूमि 603.27 एकड.) के सापेक्ष में अधिकतम अनुमन्य एफ.ए.आर.@ 2.0 (प्राधिकरण की बोर्ड बैठक दिनांक 11.08.08 में लिए गये के अनुरुप) = 48,82,694.146 वर्ग मी0

- अनुमन्य ऊँचाई = कोई सीमा नही
- पाकेट सं0 बी 39 एवं 40 के लिए प्रस्तावित ऊँचाई = 62.00 मीटर

पाकेट सं0 बी-45, PH-1 योजना के लिए विभिन्न तलों पर किये गये प्रस्तावित क्षेत्रफल का तलवार विवरण निम्नानुसार है:-

तल	प्रस्तावित क्षेत्रफल पाकेट सं0 बी-45 एवं PH-1 (वर्ग मी0)
भूतल (कम्युनिटी फैसेलिटी सहित)	5687.931
प्रथम तल	4398.618
द्वितीय तल	4398.618
तृतीय तल	4334.765
चर्तुथ तल	4341.365
पंचम तल	4341.365
छटवां तल	4341.365
सातवां तल	4334.765
आठवां तल	4341.365
नौवा तल	4341.365
दसवां तल	4341.365
ग्यारहवां तल	4334.765
बारवां तल	4341.365
तेरहवां तल	4341.365
चौदहवांतल	4341.365
पन्द्रहवां तल	4334.765
सौलहवां तल	4341.365
सत्रहवां तल	4341.365
अट्ठारवां तल	4341.365
उन्नीसवां तल	4334.765
कुल एफ.ए.आर.	**88255.377**
तहखाना (पार्किंग एवं सर्विसेज)	
तहखाना : प्रथम	18954.422
तहखाना : द्वितीय	19134.768
कुल क्षेत्रफल	**38089.190**
सेवा क्षेत्रफल	5975.169
कुल क्षेत्रफल (तहखाना एवं सेवा सहित)	**132321.00**

एफ0ए0आर0 विवरण–

Sl. No.	Description		Land Use	Date of Approval	Approved FAR (Sqm.) by NOIDA till date	Comm. Approved FAR area (Sqm.)	Revised FAR	Cumm. Revised FAR	Balance FAR (Sqm.)
1	2		3	4	5	6	7	8	9
1.	Primary School	I-3/1	Institutional	24.11.08	10026.23	10026.230	....	....	68,97,623.77
2.	Secondary School	I-2/1	Institutional	24.11.08	14006.13	24032.360	....	....	68,83,617.64
3.	Group Housing (Kalypso & Imperial Tower)	B1,B2 &B3	Residential	24.03.09	323628.295	347660.655	....	....	65,59,989.345
4.	Group Housing (PH-1,PH-2,PH-3,PH-4,PT-1,PT-2,TH-1 & TH-2)	B4	Residential	29.10.09	253144.64	600805.295	....	....	63,06,844.705
5.	Group Housing (Revise Kalypso & Imperial Tower)	B1, B2 & B3	Residential	11.10.11	(323628.295)	620789.370	343612.373 (19984.075)		62,86,860.627
6.	Group Housing (Aman)	Sector – 151	Residential	20.10.11	324587.222	945376.592			59,62,273.405
7.	Group Housing (Kosmos)	B-35, 36,37, 38,41 B & 43	Residential	01.11.11	7,53,831.85	16,99,208.44			52,08,441.555
8.	Primary School (Revise)	I-3/1	Institutional	18.11.11	(10026.23)	1702188.71	13006.50 (2980.27)		5205461.285
9.	Secondary School (Revise)	I-2/1	Institutional	18.11.11	(14006.13)	1707310.55	19127.97 (5121.84)		5200339.445
10.	Group Hosing (Klassic)	B-39 and B-40	Residential	25.11.11	110584.39	1817894.94			5089755.055
11.	Group Housing (Klassic IB & ONGC)	B-45	Residential	----	88255.377	1906150.317			5001499.678
					1906150.317				

प्रस्तावित भू-आच्छादन क्षेत्रफल = 7090.00 वर्ग मी0

प्रस्तावित एफ0ए0आर0 = 88255.377 वर्ग मी0

Map for proposed Building is per Bye Laws. Submitted for approval please.

Pl. Asstt. Asstt. Arch Architect

नाम........................

पद........................

नोएडा 9/1/12

राजपाल कौशिक
मुख्य वास्तुविद् नियोजक
नौएडा

प्रतिलिपिः

1. मुख्य परियोजना अभियन्ता, नौएडा को सादर सूचनार्थ ।
2. विशेष कार्याधिकारी (भूलेख), नौएडा को सादर सूचनार्थ ।
3. मैसर्स जेपी इन्फ्राटेक लिमिटेड की नियोजन विभाग की मास्टर फाइल में रिकार्ड update करने हेतु ।

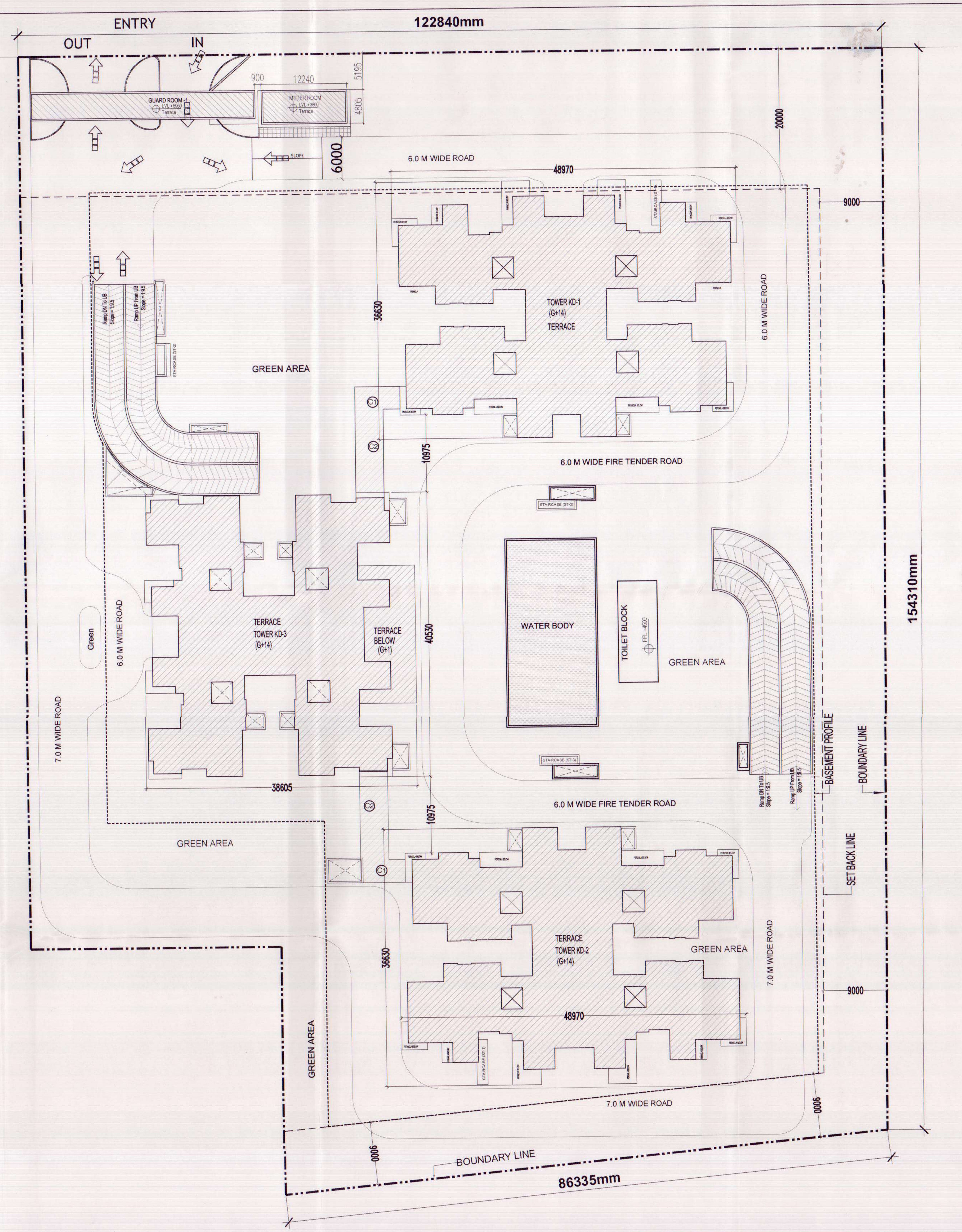

MASTER PLAN

KEY PLAN:- B45

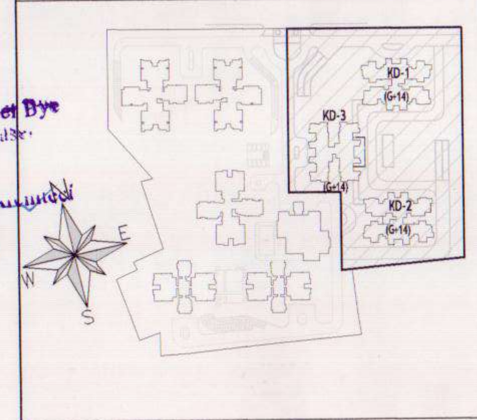

ARCHITECTS:

GIAN P. MATHUR & ASSOCIATES PVT.LTD.
ARCHITECTS, ENGINEERS & PLANNERS
C-55, EAST OF KAILASH, NEW DELHI -110065
PH: 011- 46599599 FAX : 011-46599512
EMAIL- gpma@airtelmail.in / gpma@del3.vsnl.net.in

ARCHITECT SIGNATURE :

GIAN P. MATHUR
ARCHITECT
B. Arch., M.C.A., A.I.I.A
CA No. 80/5769

CLIENT :
M/S. JAYPEE INFRATECH LTD.
SECTOR -128, NOIDA, U. P.

OWNER SIGNATURE :
For Jaypee Infratech Limited
Authorised Signatory

JOB TITLE :
SUBMISSION DRAWING

PROJECT :
KLASSIC SHAURYA (TOWERS - KD1,KD2 & KD3)
POCKET B-45,
JAYPEE GREENS, SEC.-134, NOIDA, (U. P)

DRAWING TITLE :
SITE PLAN

JOB NO. 2009/07-05	DRAWING NO. JPG/ASB/B-45/KS/02	
SCALE :- 1:300		
DATE : 20-08-2011		
DEALT - AMAAN	CHECKED BY : HIMANSHU	REVISION NO.
NOIDA AUTHORITY :-		
ASS. ARCHITECT	ARCHITECT	CHIEF ARCHITECT

Map for proposed Building is as per Bye Laws

NOTE-:

1. THIS DRAWING REPRESENTS ONLY A FIRE FIGHTING DETAIL, FOR ARCHITECTURAL, STRUCTURAL AND OTHER SERVICES REFER RELEVANT DRAWINGS.
2. PLEASE CO-ORDINATE THIS DRAWING WITH ALL OTHER RELEVANT DRAWINGS OF ALL THE SERVICES.
3. ALL DIMENSIONS SHOWN IN DRAWINGS ARE IN MM AND MUST BE CO-ORDINATED WITH THE ARCHITECTURAL DRAWINGS.

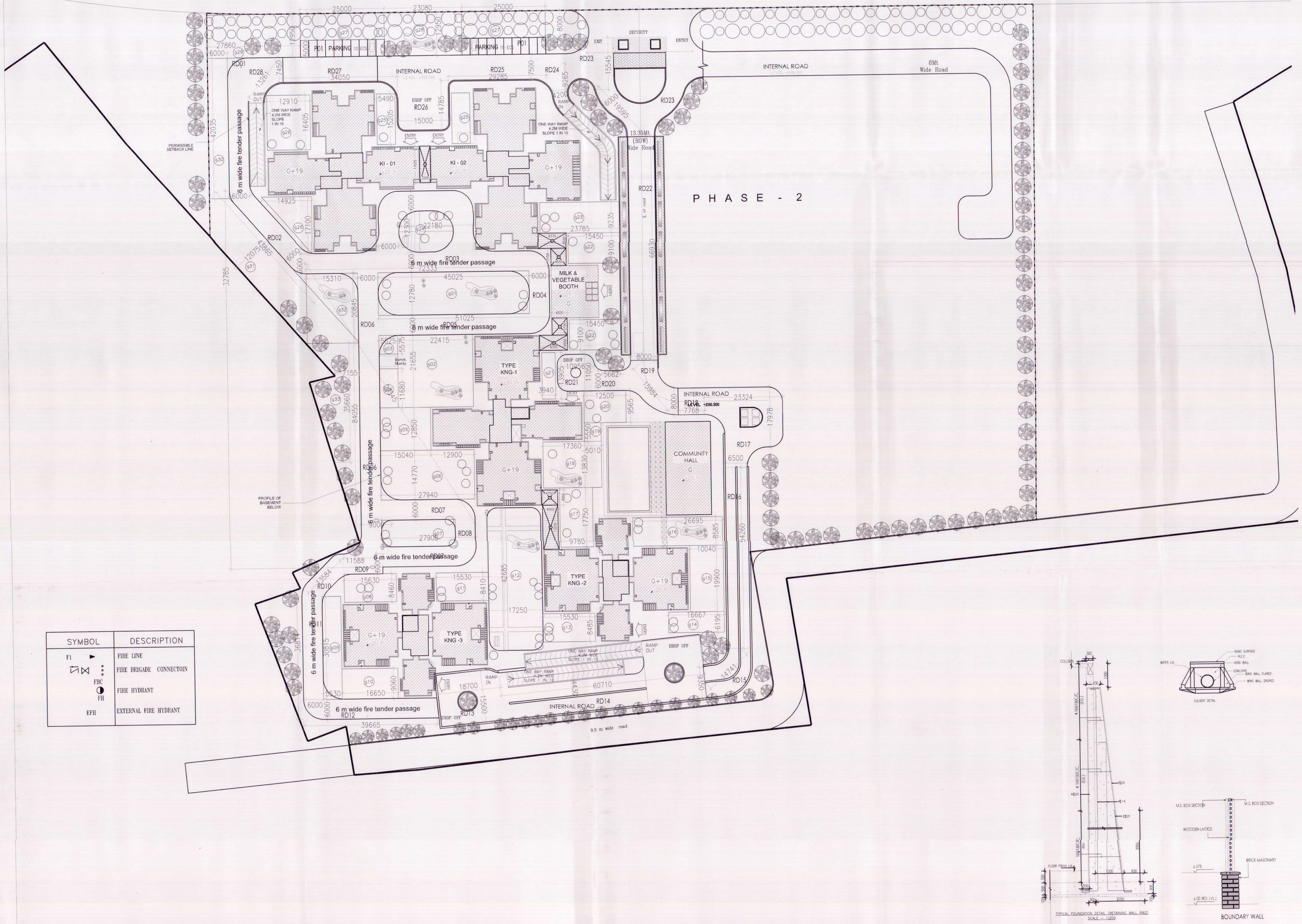

SYMBOL	DESCRIPTION
FI	FIRE LINE
	FIRE BRIGADE CONNECTOIN
FBC / FH	FIRE HYDRANT
EFH	EXTERNAL FIRE HYDRANT

Key Plan

Notes

LEGEND

Drawing Title
CLUSTER B - 45, PH1
SITE PLAN

Job Title
Submission - Cluster B - 45 , PH1

Project
JAYPEE GREENS NOIDA
PART SECTOR-129
NOIDA, U. P.

Architects & Town Planners

ARCOP ASSOCIATES Pvt. Ltd.
E-106, G.K.ENCLAVE Part-I
New Delhi-110 049
Ph.: 011-26242050 Fax : 011-26238035

Architect's Signature

Sandeep Sharma, Architect
Council of Architecture
Registration No. CA / 2000/28193

Owners' Signature

Clients
JAYPEE INFRATECH LTD.

Job No.
2006/17

Scale
1:100, 1:150, 1:500

Date
May 2011

Dealt by
Shivika Singh / Gian Chand

Drawing No.
JPG/SB/B-45/SP/S-103

Revision No.

NOIDA AUTHORITY:

Associate Architect | Architect | Chief Architect

III-258/575
12-10-2012

Area Summary (Tower KD-1 to KD-3)

(ALL AREAS ARE IN SQ. MT.)

1	Total Pocket Area	17340.095	sq m
2	PROPOSED FAR	39288.947	sq m
3	PROPOSED GROUND COVERAGE	3975.218	sq m
4	TOTAL NO. OF Dwelling units proposed	307	Units
	PROPOSED NO. OF PERSONS @4.5Persons/DU	1382	No.'s
5	PROPOSED NON FAR AREA	23596.371	sq m
6	PROPOSED SERVICE AREA	3426.371	sq m
7	TOTAL BUILTUP AREA = (FAR + NON FAR + SERVICES AREA)	66311.689	sq m

GREEN AREA CALCULATION

(ALL AREAS ARE IN SQ. MT.)

1	Total Pocket Area	17340.095	sq m
2	PROPOSED GROUND COVERAGE	3975.218	sq m
3	OPEN AREA = POCKET AREA - GROUND COVERAGE	13364.877	sq m
	REQUIRED GREEN @ 50% of OPEN AREA	6682.438	sq m
	PROPOSED GREEN Area(50.70% OF OPEN AREA)	6732.438	sq m
	No OF TREES REQUIRED @ 1TREE/100 SQMT OF OPEN AREA	133.649	No.'s
	No OF TREES PROVIDED	144	No.'s

FAR Area Calculation

(ALL AREAS ARE IN SQ. MT.)

Floor No.	Tower KD1	Tower KD2	Tower KD3	Meter Room	Total B45
Ground Floor	922.357	973.534	979.918	58.813	2934.622
1st Floor	883.796	901.740	946.817	-	2732.352
2nd Floor	898.114	889.893	850.565	-	2638.572
3rd Floor	877.062	877.062	818.588	-	2572.713
4th Floor	877.062	877.062	818.588	-	2572.713
5th Floor	877.062	877.062	818.588	-	2572.713
6th Floor	877.062	877.062	818.588	-	2572.713
7th Floor	877.062	877.062	818.588	-	2572.713
8th Floor	877.062	877.062	818.588	-	2572.713
9th Floor	877.062	877.062	818.588	-	2572.713
10th Floor	877.062	877.062	818.588	-	2572.713
11th Floor	877.062	877.062	818.588	-	2572.713
12th Floor	877.062	877.062	818.588	-	2572.713
13th Floor	877.062	877.062	818.588	-	2572.713
14th Floor	926.918	938.054	818.588	-	2683.561
Total	13278.870	13350.905	12600.360	58.813	39288.947
Sub Total					39288.947

Ground Coverage Calculation

Floor No.	Tower KD1	Tower KD2	Tower KD3	Meter, Guard Room, Toilet Block, Fire staircase Mumty & Connecting corridors	Ventilation Cutout at Ground	Total B45
Gr. Coverage	1180.759	1208.589	1122.765	330.420	132.685	3975.218
Total						3975.218

Service Area (@15 % of additional FAR) Calculation

(ALL AREAS ARE IN SQ. MT.)

Floor No.	Tower KD1	Tower KD2	Tower KD3	Guard Room, Fire staircases, Toilet Block & Connecting Corridors	Total B45
Ground Floor	44.236	42.076	40.691	271.607	398.610
1st Floor	59.367	57.207	57.317		173.890
2nd Floor	59.367	57.207	58.931		175.504
3rd Floor	59.367	59.367	58.931		177.664
4th Floor	59.367	59.367	58.931		177.664
5th Floor	59.367	59.367	58.931		177.664
6th Floor	59.367	59.367	58.931		177.664
7th Floor	59.367	59.367	58.931		177.664
8th Floor	59.367	59.367	58.931		177.664
9th Floor	59.367	59.367	58.931		177.664
10th Floor	59.367	59.367	58.931		177.664
11th Floor	59.367	59.367	58.931		177.664
12th Floor	59.367	59.367	58.931		177.664
13th Floor	59.367	59.367	58.931		177.664
14th Floor	56.472	56.472	58.931		171.874
Terrace	99.043	99.043	38.387		236.473
Machine room	105.237	105.237	105.237		315.710
Total	1076.758	1070.278	1007.729	271.607	3426.371
Sub Total					3426.371

Pocket B-45 - Area Summary

TYPE	NO.S OF STORY	GROUND COVERAGE	FAR (SQ.M)	NON FAR	15% ADDITIONAL FAR FOR SERVICES	TOTAL BUILTUP	DWELLING UNITS	TOTAL DENSITY @4.5 persons PER DU	MAXIMUM HEIGHT
KD-1	G+14	1180.759	13278.870	0.000	1076.758	14355.627	102	459	51.600
KD-2	G+14	1208.589	13350.905	0.000	1070.278	14421.182	102	459	51.600
KD-3	G+14	1122.765	12600.360	0.000	1007.729	13608.089	103	464	51.600
Guard Room & Meter Room	G	68.285	58.813	0	9.472	68.285	-	-	5.950
Fire Staircase mumty, Connecting Corridors & Toilet Block	G	262.135	0	0	262.135	262.135	-	-	4
Ventilation Cutout at Ground	-	132.685	0	0	-	-	-	-	1.200
Basement	2	-	0	23596.371		23596.371	-	-	
TOTAL - B-45		3975.218	39288.947	23596.371	3426.371	66311.689	307	1382	

TOTAL BUILT UP PROVIDED IN BOTH BASEMENTS - B45	23596.371	sq m
TOTAL FAR	39288.947	sq m
ECS REQUIRED @ 1 ECS/80 SQ.MT OF FAR	491.112	No.'s
SAY REQUIRED ECS	491	No.'s
PROPOSED PARKING AREA (BOTH BASEMNET)	21074.923	sq m
PROPOSED ECS IN BOTH Basement @ 1 ECS/ 30 Sq Mts	702.497	No.'s
TOTAL ECS PROPOSED IN BOTH BASEMENTS	702.497	No.'s
SAY	703	No.'s

SUMMARY - BASEMENT PARKING		
All Lengths are in M & Area in SqM.	AREA	
UPPER BASEMENT		
BASEMENT AREA	11911.855	sq m
SERVICE AREA	1605.666	sq m
PARKING AREA	10306.189	sq m
E.C.S. @ 30 SQM	343.540	No.'s
SAY PROPOSED ECS =	344	No.'s
LOWER BASEMENT		
BASEMENT AREA	11684.517	sq m
SERVICE AREA	915.783	sq m
PARKING AREA	10768.734	sq m
E.C.S. @ 30 SQM	358.958	No.'s
SAY PROPOSED ECS =	359	No.'s
TOTAL UPPER BASEMENT + LOWER BASEMENT		
PROPOSED E.C.S. IN BOTH BASEMENTS	703	No.'s
PROPOSED Service Area IN Both BASEMENTS	2521.449	sq m
TOTAL PROPOSED BUILT UP IN Both BASEMENTS	23596.371	sq m

नौएडा
अनापत्ति
निर्देश-आबंटी, आबंटन एवं पट्टा प्रलेख की शर्तों को पुर्नतया पालन करने हेतु बाध्य है।
स्वीकृति
III-258/575
पत्र संख्या नौएडा/भ.प्र. बी.पी.आर.
दिनांक 12-10-12
वैधता S Yrs तक
प्रभारी
(भवन प्रकोष्ठ)

Map for proposed Building is ... per Bye Laws. Submitted for ...
Asstt. Assit. Arch. Architect

MASTER PLAN

भवर के अग्र पृष्ठ एव साइड सैट बैक में अतिक्रमण करने पर भारी समायोजन शुल्क देना पड़ता हैं तथा अधिक अतिक्रमण को तोड़ना भी पड़ सकता है। अतः स्वीकृत मानचित्र के अनुसार ही निर्माण करे, अतिक्रमण न करे।
Encroachments on front, Rear & Side setbacks invite heavy penalties. Encroachments would be demolished also Please ... encroachments construct building as per Sanctioned Map.

POCKET, B-45

KEY PLAN:- B45

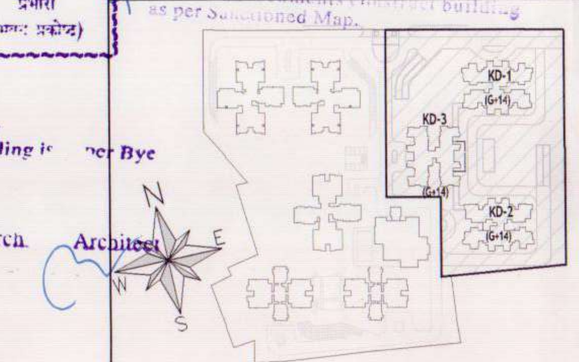

भवन प्रकोष्ठ
नोटः 1. यह मानचित्र स्वीकृति की दिनांक से अधिकतम 5 वर्ष की अवधि तक वैध रहेगा बशर्ते पटटेदार का पटटे के अधिकार उपलब्ध हो अथवा उसने पूर्न जीवित करा लिए हो । पटटे के अधिकार उपलब्ध पुर्नजीवित न होने की दशा मे मानचित्र की वैधता पटटे की वैधता तिथि तक ही समझी जाएगी ।

(2) आवंटी को अधिभोग प्रमाण पत्र हेंतु आवेदन करते समय विकास प्रवन्धक (आवास) से नियम अनुसार समय वृद्धिपत्र प्राप्तकर प्रस्तुत करना होगा

ARCHITECTS:
GIAN P. MATHUR & ASSOCIATES PVT.LTD.
ARCHITECTS, ENGINEERS & PLANNERS
C-55, EAST OF KAILASH, NEW DELHI -110065
PH: 011- 46599599 FAX : 011-46599512
EMAIL- gpma@airtelmail.in / gpma@del3.vsnl.net.in

ARCHITECT SIGNATURE :
GIAN P. MATHUR
ARCHITECT
B. Arch., M.C.A., A.I.I.A
CA No. 80/5769

CLIENT :
M/S. JAYPEE INFRATECH LTD.
SECTOR -128, NOIDA, U. P.

OWNER SIGNATURE :
For Jaypee Infratech Limited
Authorised Signatory

JOB TITLE :
SUBMISSION DRAWING

PROJECT :
KLASSIC SHAURYA (TOWERS - KD1,KD2 & KD3)
POCKET B-45,
JAYPEE GREENS, SEC.-134, NOIDA, (U. P)

DRAWING TITLE :
AREA STATEMENT

JOB NO. 2009/07-05	DRAWING NO.	
SCALE :- 1:300	JPG/ASB/B-45/KS/01	
DATE : 20-08-2011		
DEALT - AMAAN	CHECKED BY : HIMANSHU	REVISION NO.
NOIDA AUTHORITY :-		
ASS. ARCHITECT	ARCHITECT	CHIEF ARCHITECT

FLOOR WISE FAR AREA STATEMENT

NO OF TOWER	1	1	1	2	TOTAL
	CLUSTER B1				
	KI-01	KI-02	KNG-01	KNG-02 & 03	
GR. COVERAGE	1202.54	1229.80	1213.51	946.80	5539.447
GR. FLOOR F.A.R.	1003.23	1023.20	1049.64	768.42	4612.931
1st FLOOR F.A.R.	947.87	971.15	999.38	740.10	4398.618
2nd FLOOR F.A.R.	947.87	971.15	999.38	740.10	4398.618
3rd FLOOR F.A.R.	931.76	955.44	986.73	730.41	4334.765
4th FLOOR F.A.R.	935.06	958.74	986.73	730.41	4341.365
5th FLOOR F.A.R.	935.06	958.74	986.73	730.41	4341.365
6th FLOOR F.A.R.	935.06	958.74	986.73	730.41	4341.353
7th FLOOR F.A.R.	931.76	955.44	986.73	730.41	4334.765
8th FLOOR F.A.R.	935.06	958.74	986.73	730.41	4341.365
9th FLOOR F.A.R.	935.06	958.74	986.73	730.41	4341.365
10th FLOOR F.A.R.	935.06	958.74	986.73	730.41	4341.365
11th FLOOR F.A.R.	931.76	955.44	986.73	730.41	4334.765
12th FLOOR F.A.R.	935.06	958.74	986.73	730.41	4341.365
13th FLOOR F.A.R.	935.06	958.74	986.73	730.41	4341.365
14th FLOOR F.A.R.	935.06	958.74	986.73	730.41	4341.365
15th FLOOR F.A.R.	931.76	955.44	986.73	730.41	4334.765
16th FLOOR F.A.R.	935.06	958.74	986.73	730.41	4341.365
17th FLOOR F.A.R.	935.06	958.74	986.73	730.41	4341.365
18th FLOOR F.A.R.	935.06	958.74	986.73	730.41	4341.365
19th FLOOR F.A.R.	931.76	955.44	986.73	730.41	4334.765
AREA COMMUNITY FACILITIES					1075.000
TOTAL	18778.55	19247.54	19822.92	14665.61	88255.377

FLOOR WISE 15% F.A.R. AREA STATEMENT

NO OF TOWER	1	1	1	2	TOTAL
	CLUSTER B1				
	KI-01	KI-02	KNG-01	KNG-02 & 03	
GR. FLOOR SERVICE AREA	11.80	14.66	17.16	13.04	67.929
1st FLOOR SERVICE AREA	47.67	60.18	53.56	52.73	266.856
2nd FLOOR SERVICE AREA	47.67	60.18	53.56	52.73	266.856
3rd FLOOR SERVICE AREA	47.67	60.16	53.56	52.73	266.856
4th FLOOR SERVICE AREA	47.67	60.16	53.56	52.73	266.856
5th FLOOR SERVICE AREA	47.67	60.16	53.56	52.73	266.856
6th FLOOR SERVICE AREA	47.67	60.16	53.56	52.73	266.856
7th FLOOR SERVICE AREA	47.67	60.16	53.56	52.73	266.856
8th FLOOR SERVICE AREA	47.67	60.16	53.56	52.73	266.856
9th FLOOR SERVICE AREA	47.67	60.16	53.56	52.73	266.856
10th FLOOR SERVICE AREA	47.67	60.16	53.56	52.73	266.856
11th FLOOR SERVICE AREA	47.67	60.16	53.56	52.73	266.856
12th FLOOR SERVICE AREA	47.67	60.16	53.56	52.73	266.856
13th FLOOR SERVICE AREA	47.67	60.16	53.56	52.73	266.856
14th FLOOR SERVICE AREA	47.67	60.16	53.56	52.73	266.856
15th FLOOR SERVICE AREA	47.67	60.16	53.56	52.73	266.856
16th FLOOR SERVICE AREA	47.67	60.16	53.56	52.73	266.856
17th FLOOR SERVICE AREA	47.67	60.16	53.56	52.73	266.856
18th FLOOR SERVICE AREA	47.67	60.16	53.56	52.73	266.856
19th FLOOR SERVICE AREA	47.67	60.16	53.56	52.73	266.856
MUMMTY MACHINE ROOM	86.40	93.35	72.62	66.75	387.317
MILK & VEGETABLE BOOTH					210.000
CONNECTING CORRIDOR/PERGOLA					239.666
TOTAL	1003.90	1251.12	1107.32	1081.58	5975.169

मवर के अग्र पृष्ठ एवं साइड सैट बैक में ... करने पर भारी समायोजन ... पड़ता है तथा अधिक ... भी पड़ सकता है। ... मानचित्र के अनुसार ही निर्माण ... क्रमण न करें।

Encroachments on ... Side setbacks invite heavy ... Encroachments could be dem... avoide en...chments construct building as per Sanctioned Map.

AREA STATEMENT FOR CLUSTER B-45

S.No.	Building type	FAR covd in each building (sqm)	Total no. of buildings	Total FAR area (Sq.M)	Total 15% of FAR area (Sq.M)	Total nos. of D.U's (L)	DENSITY 4.5 PERSONS PER D.U.	Ground coverage in sqm per block	Ground coverage in sqm total	NO. OF FLOORS	PROPOSED HEIGHT OF BLOCK(in M)
1	KI-01 (G+19)	18778.545	1	18,778.545	1,003.895	119	536	1,202.536	1,202.536	G+19	62.950
2	KI-02(G+19)	19247.538	1	19,247.538	1,251.120	139	626	1,229.800	1,229.800	G+19	62.950
3	KNG-01 (G+19)	19822.920	1	19,822.920	1,107.321	119	536	1,213.511	1,213.511	G+19	62.950
4	KNG-02 & 03 (G+19)	14665.610	2	29,331.220	2,163.165	238	1,071	946.800	1,893.600	G+19	62.950
5	COMMUNITY BUILDING-1	1,075.830	1	1,075.830				1,075.830	1,075.830		11.000
6	MILK AND VEGETABLE BOOTH		1		210.000			235.200	235.200	G	4.500
7	CONNECTING CORRIDOR/ PERGOLA				239.666			239.666	239.666	G	
	Total		7	88,256	5,975.169	615	2,768		7,090		

PROPOSED AREA AT UPPER BASEMENT (A)	18954.422
PROPOSED AREA AT LOWER BASEMENT (B)	19134.768
TOTAL PROPOSED AREA FOR BASEMENTS A+B=C	38089.19

TOTAL PROPOSED AREA FOR CLUSTER B45

	TOTAL GROUND COVERAGE	7090
1	TOTAL F.A.R AREA FOR CLUSTER B45	88256
2	TOTAL 15 % OF F.A.R. AREA	5975
3	TOTAL NONF.A.R ARE (BASEMENT)	38089
	GRAND TOTAL(BUILT UP AREA)	132321

PARKING CALCULATIONS

PARKING REQUIRED		
TOTAL F.A.R AREA	88255.38	SQ.M
NO. OF CAR @ 1 ECS/80 SQ.M	1103	
TOTAL AREA REQUIRED FOR PARKING @ 30 SQ. M/ ECS	33095.767	SQ.M
PROPOSED PARKING STATEMENT		
TOTAL BASEMENT AREA	38089.190	SQ.M
LOWER BASEMENT		
PROPOSED AREA AT LOWER BASEMENT (A)	19134.768	SQ.M
TOTAL NO. OF CAR PROVIDED IN LOWER BASEMENT	600.000	
TOTAL AREA PROPOSED FOR PARKING FOR 600 ECS@30SQ.M IN LOWER BASEMENT (B)	18000.000	SQ.M
AREA PROPOSED FOR SERVICES IN LOWER BASEMENT (C=A-B)	1134.768	SQ.M
UPPER BASEMENT		
PROPOSED AREA AT UPPER BASEMENT (D)	18954.422	SQ.M
TOTAL NO. OF CARS PROVIDED IN UPPER BASEMENT	510.000	
TOTAL AREA PROPOSED FOR PARKING FOR 510 ECS@30SQ.M IN UPPER BASEMENT (E)	15300.000	SQ.M
AREA PROPOSED FOR SERVICES IN UPPER BASEMENT (F=D-E)	3654.422	SQ.M
TOTAL AREA		
TOTAL AREA PROPOSED FOR PARKING (B+E)	33300.000	SQ.M
TOTAL AREA PROPOSED FOR SERVICES (C+F)	4789.190	SQ.M
AREA USED FOR SERVICES <15% OF TOTAL BASEMENT AREA	13%	
TOTAL NO. OF CAR PROVIDED	1110	

नोट: 1. यह मानचित्र स्वीकृति की दिनांक से अधिक ... 5 वर्ष की अवधि तक वैध रहेगा बशर्ते पट्टेदार ... पट्टे के अधिकार ... हो अथवा उसने पूर्ण ... करा लिए हों। ... अधिकार ... की दशा में मानचित्र की वैधता ... पुनर्जीवित न होने ... पट्टे की वैधता तिथि तक ही समझी जाएगी।

LANDSCAPE CALCULATIONS

PLOT AREA	(A)	26714	SQ.M
GROUND COVERAGE	(B)	7090	SQ.M
AREA FOR LANDSCAPE (OPEN AREA)	(A-B)	19623.617	SQ.M
GREEN AREA @50% OF OPEN AREA		9811.809	SQ.M
PROPOSED GREEN AREA		10350.000	SQ.M
NO. OF TREES @ 100SQ.M		196.236	
	SIMILAR	196	
50% OF TREES ARE EVERGREEN			

(2) आवंटी को अधिभोग ... हेतु आवेदन करते समय ... अनुसार समय वृक्षपत्र प्राप्तकर प्रस्तुत करना होगा

भवन प्रकोष्ठ, नौएडा
अनापत्ति
निदेश-आवंटी, आवंटन एवं पट्टा प्रलेख की ... गतया पालन करने हेतु बाध्य है।
स्वीकृत
पत्र संख्या नौएडा/भ.प्र./ बी.सी.आर. 263/493
दिनांक 19/1/12
वैधता ...
प्रभारी (भवन प्रकोष्ठ)

Key Plan

Plan for proposed Building ... Bye Laws. Submitted for approval please.
Pl. Asstt. Asstt. Arch. Architect

Notes

LEGEND

SYMBOL	DESCRIPTION	SYMBOL	DESCRIPTION	SYMBOL	DESCRIPTION

Drawing Title
CLUSTER B - 45, PH1
AREA STATEMENT

Job Title
Building Submission
Cluster B - 45 , PH1

Project
JAYPEE GREENS NOIDA
PART SECTOR-129
NOIDA, U. P.

Architects & Town Planners
ARCOP ASSOCIATES Pvt. Ltd.
E-106, G.K.ENCLAVE Part-I
New Delhi-110 049
Ph.: 011-26242050 Fax : 011-26238035

Architect's Signature
Sandeep Sharma, Architect
Council of Architecture
Registration No. CA / 2006/38193

Owners' Signature
For Jaypee Infratech Limited

Clients JAYPEE INFRATECH LTD.
Authorised Signatory

Job No. 2009/29	
Scale	
Date DEC. 2011	Drawing No. BS/B-45/001
Dealt by Shivika Singh / Checked by Gian Chand	Revision No.

NOIDA AUTHORITY:

Associate Architect | Architect | Chief Architect